तारीख हुक्म	अपील संख्या 04/2015 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज चंपा के व.मु./ हकूमा के व.मु.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27.02.2026	पत्रावली पेश हुई। हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट हकूभाई के फौत होने पर कायम मुकाम कार्यवाही हेतु अधिवक्ता अपीलांट द्वारा हकूभाई के वारिसान में से दिनेश भाई व भीकीबेन की ओर से आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा उक्त दो वारिसान की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 18.12.2025 द्वारा कायम मुकाम प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया तथा अधिवक्ता अपीलांट को संशोधित शीर्षक व वकालतनामा हेतु अवसर दिया गया। आदेशिका दिनांक 17.02.2026 के अनुसार अधिवक्ता अपीलांट द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया। लेकिन कायम मुकाम संख्या 1/3 से 1/7 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि हकूभाई के वारिसान संख्या 1/1 व 1/2 की ओर से वकालतनामा प्रार्थना पत्र के साथ पूर्व में प्रस्तुत कर दिया गया था। शेष वारिसान संख्या 1/3 से 1/7 उक्त अपील में अपना हक निहित रखते हैं। अतः न्यायालय द्वारा शेष वारिसान संख्या 1/3 से 1/7 को तलब फरमाया जावें। हमारे विनम्र मत में अपील या वादपत्र को संचालित करने की जिम्मेदारी संबंधित अपीलांट या वादीगण की होती हैं तथा इसे किसी भी दृष्टि से न्यायालय के जिम्मे नहीं किया जा सकता। मृतक अपीलांट के वारिसान में से यदि वारिसान संख्या 1/3 से 1/7 की ओर से प्रकरण में न तो असालतन उपस्थिति हो रही हैं एवं न ही उनकी ओर से अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है तो इससे स्पष्ट है कि उक्त वारिसान विचाराधीन अपील को चलाना नहीं चाहते हैं। शेष अपीलांट के पास यह विकल्प है कि वे उक्त अपीलांट्स को ट्रांस्पोज/प्रतिस्थापित करवाने के लिए भी स्वतंत्र है। लेकिन अधिवक्ता अपीलांट द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा न्यायालय निर्देशों की तकमील नहीं किया जाना साबित है। अतः अपील अपीलांट मृतक अपीलांट के वारिसान संख्या 1/3 से 1/7 के असालतन उपस्थित नहीं होने/इनकी ओर से कोई वकालतनामा प्रस्तुत नहीं होने तथा न्यायालय निर्देशों की अदम तकमील होने से अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय आज दिनांक **27.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	

Scanned with OKEN Scanner